


अज अवालत श्री दीपक चंदन आर.ए.एस. ,
बइजलासः उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)
सुनिता बनाम जोगेन्द्र वगै०
दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती, खाता विभाजन

मु०न० :-251 / 2025

निर्णय

दिनांक - 14/08/2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम सेही कलां तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 0.72 है०, खसरा नम्बर 797/501 रकबा 1.56 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.08.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

यह आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ
राजस्थान

राजस्व वाद संख्या:-251 / 2025
सुनिता बनाम जोगेन्द्र वगै०
निर्णय दिनांक:-14/8/2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)

सुनिता बनाम जोगेन्द्र वगै०

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती, खाता विभाजन

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 14/8/2025 को श्री दीपक चंदन उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम सेही कलां तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 0.72 है०, खसरा नम्बर 797/501 रकबा 1.56 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.08.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ